

परसीमन

प्रलिस के लयः

परसीमन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170, लोकसभा, राज्यसभा

मेन्स के लयः

भारतीय संवधान, चुनाव, वैधानिक नकिया, परसीमन प्रक्रिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम राज्य मंत्रिमंडल ने चार जिलों के उनके घटक जिलों के साथ वलिय को मंजूरी दे दी है।

- 27 दसिंबर को चुनाव आयोग ने असम में वधानसभा और संसदीय नरिवाचन क्षेत्रों के परसीमन की प्रक्रिया की घोषणा करते हुए कहा कि यह कार्य वर्ष 2001 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर कया जाएगा। असम में वर्तमान में 14 लोकसभा क्षेत्र और 126 वधानसभा क्षेत्र हैं।

परसीमन:

- परचियः**
 - परसीमन से तात्पर्य किसी देश में आबादी का प्रतनिधित्व करने हेतु किसी राज्य में वधानसभा और लोकसभा चुनावों के लयिनरिवाचन क्षेत्र की सीमाओं का नरिधारण करना है।
 - इसमें परसीमन आयोग को बना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करना होता है।
 - संवधान के अनुसार, आयोग का नरिणय अंतिम होता है और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसा करने से चुनाव में हमेशा ही देरी होती रहेगी।
 - परसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य वधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं।
- आवश्यकता:**
 - जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतनिधित्व का समान अवसर प्रदान करना।
 - भौगोलिक क्षेत्रों का उचित वभाजन ताकि चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को दूसरों की अपेक्षा लाभ न हो।
 - "एक वोट एक मूल्य" के सिद्धांत का पालन करना।
- संरचना:**
 - परसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नयुक्त कया जाता है तथा भारत नरिवाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय के सेवानवृत्त न्यायाधीश
 - मुख्य नरिवाचन आयुक्त
 - संबंधित राज्य के नरिवाचन आयुक्त

परसीमन की प्रक्रिया:

- प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संवधान के अनुच्छेद-82 के तहत एक परसीमन अधनियम लागू कया जाता है।
- अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधनियम के अनुसार क्षेत्रीय नरिवाचन क्षेत्रों में वभाजति कया जाता है।
- एक बार अधनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परसीमन आयोग का गठन करती है।
- हालाँकि पहला परसीमन अभ्यास राष्ट्रपतिद्वारा (नरिवाचन आयोग की मदद से) 1950-51 में कया गया था।
- परसीमन आयोग अधनियम 1952 में अधनियमति कया गया था।
- 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधनियमों के आधार पर चार बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परसीमन आयोगों का गठन कया

गया है।

- परसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परसीमन अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है।
- वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परसीमन नहीं किया गया।

परसीमन से संबंधित मुद्दे:

- जो राज्य जनसंख्या नयितरण में कम रुचिलेते हैं उन्हें संसद में अधिक संख्या में सीटें मलि सकती हैं। परविर नयिोजन को बढावा देने वाले दक्षिणी राज्यों को अपनी सीटें कम होने की आशंका का सामना करना पडा।
- वर्ष 2002-08 तक परसीमन, जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी लेकिन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, वधिनसभाओं और संसद में तय की गई सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
 - वर्ष 2003 के 87वें संशोधन अधिनियम में नरिवाचन क्षेत्रों के परसीमन का प्रावधान वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, न कविर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर। हालाँकि यह लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में बदलाव कयि बनिा कयिा जा सकता है।
- संवधिन ने लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों की संख्या को क्रमशः 550 तथा 250 तक सीमति कर दिया है और बढती जनसंख्या का प्रतनिधित्त्व एक ही प्रतनिधि द्वारा कयिा जा रहा है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. परसीमन आयोग के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2012)

1. परसीमन आयोग के आदेश को नयायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
2. जब परसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य वधिनसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस